न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 183 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
किरता पुत्र लिछमणा कायम मुकाम 1/1उमा पुत्र किरता 1/2जेठा पुत्र किरता 1/3राजोंदेवी पत्नी किरता 1/4धाईदेवी पुत्री किरता पत्नी विशनाराम 1/5अनुदेवी पुत्री किरता पत्नी डूंगराराम जाति जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर	1. चनणीदेवी पत्नी मूलाराम 2. भीखाराम पुत्र कानाराम 3. मूलाराम पुत्र अणदाराम 4. कसुम्बी पत्नी वालाराम जाति जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर 5. तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 90/2022 बअनवान किरता के कायम मुकाम उमाराम बनाम चनणी देवी वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री 25.07.2024 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री जेठाराम प्रजापत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री छैलसिंह राठौड़ रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 03 की ओर से।
3. वकील श्री पवनगिरी सोड़ियार रेस्पोडेंटस संख्या 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—06.03.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा जाखड़ों की ढाणी पटवार हल्का जाखड़ों की ढाणी तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 353 रकबा 12.0353 हैक्टयर का है। वादीगण वादग्रस्त आराजी में 1427/4461 हिस्सा वादी का है। वादी का हिस्सा मौका पर कब्जा काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किया जावे। उक्त आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उतरदातागण/वादी ने पेश किया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांटगण को सूचना/नोटिस नहीं दिये। विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बाड़मेर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत प्रस्तावित कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांटस को सूचना/नोटिस नहीं दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, उक्त विभाजन प्रस्ताव में अपीलांटस की जोत में आने जाने हेतु रास्ते का प्रावधान नहीं किया गया। अपीलाधीन आराजी सड़क मार्ग पर स्थित है लेकिन अपीलांटस को अपने हक हिस्से की भूमि सड़क मार्ग पर नहीं देकर पीछे दी गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालयमें पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व प्रक्रियागत कार्यावाही को पूर्ण नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंटस ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से तहसीलदार स्वयं ने मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटस संख्या 1/1 व 1/3 के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर/अंगूष्ठ निशान हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री पारित की गई उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट/वादीगण के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव स्वीकार अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद स्वयं वादीगण/अपीलांटस ने पेश किया जिनकी सम्पूर्ण जानकारी एवं सहमति से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटस स्वयं ने अपने हिस्से की भूमि जो सड़क मार्ग पर आती है का बेचान कर दिया गया। अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा आपति की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारे प्रस्ताव तैयार करते वक्त रास्ते का प्रावधान नहीं किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त विभाजित खेत में आने जाने हेतु रास्ते का प्रावधान किया जाता है तो हमें कोई आपति नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। उक्त गलत निर्णय व डिक्री के आधार पर उतरदातागण ने अपीलांटस को बेदखल करने की धमकी दी तथा सड़क पर कब्जा करने लगे। जिस पर अपीलांटगण के द्वारा मना करने पर उत्तरदातागण विवाद करने लगे तथा विभाजन में जमीन उसको मिलने का कथन किया गया। जिस पर उक्त प्रकरण की जांच कर दिनांक 07.10.2024 को नकल हेतु आवेदन पेश किया गया। नकल तैयार होकर दिनांक 17.10.2024 को प्राप्त हुई। नकल मिलने की वास्तविक जानकारी की तिथि से अन्दर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

म्याद पेश है। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई तब अपील पेश की। यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उपभयपक्ष की उपस्थिति में बाद समुचित सुनवाई पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक-एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर ख़ारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटस द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील पेश नहीं की गई इससे साफ जाहिर होता है कि हिस्सों को लेकर अपीलांटस किरता के कायम मुकाम को कोई आपति नहीं है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटस के हस्ताक्षर है। अपीलाधीन आराजी का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा अपनी उपस्थिति में उभयपक्षकारान की उंपस्थिति में तैयार किया गया। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। तत्पश्चात अंतिम डिक्री पारित की गई। अपीलांटस येन-केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सद्भावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds तैयार किये गए, तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटस की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वादी/रेस्पोडेंटस को मिले खातेदारी अधिकारों से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा मातहत अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 90/2022 बअनवान किरता के कायम मुकाम उमाराम बनाम चनणी देवी वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री 25.07.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

6/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/3/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर